(d) and (e) Several steps have been taken by the organisations of the Civil Aviation sector to improve convenience of passengers and making air services more efficient. Some of these steps are:

— Time permitting, serving of snacks, refreshments, etc. to the passengers at the airports or nearby hotels.

— In case of delays of more than one hour, passengers are given an option to take full refunds on their tickets without levy of any cancellation charges.

— Reimbursement of conveyance expenditure to residence/hotel and back.

— Free facility for sending messages.

— Priority of seats on alternate flights, if available.

— Re-routing via longer sectors and upgradation to higher classes, whenever necessary, without levy of additional fares.

— Alternate Surface transport arrangements to destinations, if so desired by the passengers,

— In case serious snags occur, which are likely to result in cancellations or inordinate delays, the Chief Engineering Managers of the base stations are required to personally inspect the aircraft and in case the rectifications are likely to result in delays or cancellations, then information is passed on immediately to the en-route stations.

— The Regional Managers are holding daily meetings with the operational heads to discuss snags.

— Reviews are also conducted at headquarters.

— Provision of correct information to passengers through the media and other means.

— Increase in the number of telephones and auto-answering machiines.

— Installation of HF-SSB sets at more stations to communicate flight information between stations promptly.

— Dissemination of information through tele-text at Delhi.

— Provision of more Customer Services Units.

— Provision of meals and stay at hotels in case of delays of longer duration.

— Designating officers for supervision at different locations and providing assistance in the matter of refunds, taxi vouchers, hotel accommodation, retrieval of baggage, etc.

— Provision of extra cushion between flights.

— More time for maintenance of aircraft.

— Review of action taken for rectifications of snags at regions as well as at headquarters.

In regard to services operated by Air India on international sectors more non-stop services have been introduced and Air India has revised its flight scheduled to provide maximum convenience to passengers in terms of departure and arrival timing, flight routing, etc. Computerised passenger reservation facilities are being introduced at more stations where such a facility is not available.

पेट्रो रसायन-परियोजनाएं

1658. श्री सोज़ी इर्शादबेग: क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में क्रमश: कितने पेट्रो-रसायन काम्प्लेक्स हैं ;

(ख) सरकार की इन एककों का विस्तार करने और उन्हें मजबूत बनाने की क्या योजनायें हैं; और

(ग) गुजरात में बड़ौदा और अंकलेश्वर स्थित पेट्रो-रसायन एककों का विस्तार करने की क्या योजनायें हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) फिलहाल, सरकारी क्षेत्र में तीन पेट्रोकेमिकल कम्पलैक्स विद्यमान हैं (अर्थात् दो एरोमेटिक्स और एक ओलेफिनिक) और संयुक्त क्षेत्र में कोई नहीं है।

(ख) और (ग) नागोथाणे में महाराष्ट्र गैस केमिकल्स, जो इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, में इथाइलीन की क्षमता को 3,00,000 टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4,00,000 टन प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है। पालिप्रापिलीन और पालिबुटाडीन रबड़ और बुटाडीन एक्सट्रेक्शन को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ौदा में आई-पी-सी-एल की क्षमताओं का विस्तार करने की योजनायें भी हैं।

देश में विद्युत उत्पादन

1659. **श्री मोजा इर्शादबेग** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है तथा उनकी कुल वार्षिक उत्पादन लागत कितनी है ; और

(ख) आगामी पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) 12-3-90 की स्थिति के अनुसार देश में ताप, न्यूक्लीय एवं जल विद्युत केन्द्रों की कुल मिलाकर विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 61,000 मेगावाट है। 1987-88 के दौरान ताप तथा जल विद्युत केन्द्रों के विद्युत उत्पादन को मिलाकर इनकी उत्पादन-लागत लगभग 42.5 पैसे/किलोवाट आवर बैठती है।

(ख) आठवीं योजना में संसाधनों एवं अन्य निवेशों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए अनन्तिम रूप से लगभग 38369 मेगावाट नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़े जाने की आयोजना की परिकल्पना की गई है।

किसी उद्योग को रुग्ण घोषित किये जाने सम्बन्धी नियम तथा निर्देश

1660. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किसी उद्योग को रुग्ण घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम और निर्देश क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार उनमें संशोधन करने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस०आई०सी०ए०) की परिभाषा के अनुसार एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी वह औद्योगिक कंपनी (7 वर्ष से कम समय के लिए पंजीकृत नहीं की जाती) है जिसकी संचित हानियां किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में उसके सम्पूर्ण मूल्य के बराबर अथवा उससे अधिक हैं और जिसे उसी वित्तीय वर्ष तथा ऐसे वित्तीय वर्ष से एकदम पहले वित्तीय वर्ष में नकद हानियां भी उठानी पड़ी है। अधिनियम के प्रावधान सरकारी कंपनियों, लघु उद्योग एककों तथा सहायक एककों पर लागू नहीं होते हैं। समुद्री जहाजों तथा विजली द्वारा चालित अन्य जलयानों से संबंधित अनुसूचित उद्योग पर भी ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को सलाह दी है कि एक लघु औद्योगिक एकक को "रुग्ण" माना जाना चाहिए यदि इसकी संचित हानियां किसी भी लेखा वर्ष के अंत से एकदम पहले जांच लेखा वर्षों में इसके अधिकतम मूल्य के 50% के बराबर अथवा अधिक हों। अत्यंत छोटे/विकेन्द्री त क्षेत्र के मामले में, यदि वित्तीय विवरण प्राप्त करना कठिन